न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरडक, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. अजय बंसल पुत्र जगदीश प्रसाद जी बंसल, जाति- अग्रवाल,
   निवासी- मांचगांव, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही
   (एफ.बी.ओ. एवं मालिक)

फर्म:- अजय प्रोविजन एण्ड जनरल स्टोर, सदर बाजार,
सानीगांव, माउन्ट आबू, जिला-सिरोही

2. रवि सिंघल, मकान नंबर- 30, हीना कॉलोनी, आबूरोड, जिला- सिरोही,
   (खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर)

फर्म:- रविकुमार ललितकुमार जनरल मर्चेन्ट, मकान नंबर-30, हीना कॉलोनी, आबूरोड

3. मेघा सपरा, खण्डेला बाजार, श्रीमाधोपुर, सीकर (राज.)

फर्म:- सपरा मार्केटिंग कम्पनी, जी-635 ए.रोड नंबर-6, वीकेआई रोड, जयपुर (राज.)

4. Yogesh Vora S/0 Sh. Lalit Kumar Vora,
   402, Galaxy Cresent, 13th Cross, Banglore-560003
   (नॉमिनी निर्माता फर्म)

फर्म:- INDO NISSIN FOODS PRIVATE LIMITED,
3rd floor Centenary Building, 28 M.G.Road, Bangalore-560001

5- INDO NISSIN FOODS PRIVATE LIMITED,
3rd floor Centenary Building, 28 M.G.Road, Bangalore-560001
जरिये नॉमिनी
Yogesh Vora S/0 Sh. Lalit Kumar Vora,
402, Galaxy Cresent, 13th Cross, Banglore-560003

प्रकरण संख्या: 37/2016

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थिति:

1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अधिवक्ता श्री सौरभ अवस्थी, प्रतिवादी संख्या- 3 से 5 की ओर से
3. अधिवक्त श्री दलपतराज परमार, प्रतिवादीगण की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 16 मार्च, 2020

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 27.6.2015 को समय 12.30 पी.एम.

....पेज दो पर

पर फर्म अजय प्रोविजन जनरल स्टोर, सदर बाजार, सानीगांव, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही पर पॅहुचा। खाद्यकारोबारकर्ता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय लेने व देने पर ज्ञात हुआ कि वह व्यक्ति अजय बंसल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद बंसल, जाति- अग्रवाल, निवासी- मांचगांव, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही है एवं उक्त फर्म अजय प्रोविजन एण्ड जनरल स्टोर, सदर बाजार, सानीगांव, माउन्ट आबू पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ Instant Noodles (Top Ramen Brand) (Proprietary food) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ Instant Noodles (Top Ramen Brand) (Proprietary food) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान में बिक्री हेतु मौजूद Instant Noodles (Top Ramen Brand) (Proprietary food) के 40x70Gm पैक्ड पाउचेज में से Instant Noodles (Top Ramen Brand) (Proprietary food) के 28x70Gm खरीद किये एवं उसकी कीमत राशि रुपये 252/- अदा किये एवं खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। फार्म संख्या 5ए तैयार किया एवं खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म संख्या 5ए मूल संलग्न है। उक्त खाद्य पदार्थ Instant Noodles (Top Ramen Brand) (Proprietary food) की सप्लाई बाबत जानकारी चाहने पर खाद्य कारोबारकर्ता अजय बंसल ने फर्म रविकुमार ललितकुमार, आबूरोड़ का बिल प्रस्तुत किया। मूल फार्म संख्या 5ए एवं सप्लाई बिल संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर विक्रेता व गवाहों के हस्ताक्षर कराये एवं मैनें स्वयं ने अपने हस्ताक्षर किये है। तत्पश्चात् खरीदशुदा Instant Noodles (Top Ramen Brand) (Proprietary food) को कागज के डिब्बो में सात-सात पाउचेज रखकर टेप से चिपका कर 4 पैकेट बनाये एवं प्रत्येक नमूना पैकेट पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप कोड व क्रमांक S-407 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैनें भी अपने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। मूल मौका फर्द संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर

.....तीन पर

चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफो को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 30.6.2015 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 30.6.2015 को ही शेष तीन सील बन्द नमूना मय फार्म नम्बर-6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ Instant Noodles (Top Ramen Brand) (Proprietary food) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ Instant Noodles (Top Ramen Brand) (Proprietary food) का नमूना संख्या S-407 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है एवं जांच रिपोर्ट में Heavy metals and mono sodium galutamate संबंधित जांच नही होने का कारण जांच Facility लेब में नही होने का विवरण भी अंकित पाया गया। संबंधित को जांच रिपोर्ट भिजवाई गई। नमूने की अधूरी जांच रिपोर्ट के संबंध में आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर को अवगत कराते हुए नमूने की पूर्ण जांच के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया। आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर ने नमूनें को रेफरल फूड लेब्रोरेट्री, गाजियाबाद भिजवाने के आदेश दिये। जिसकी पालना में नमूने के दूसरे भाग को जांच हेतु रेफरल फूड लेबोरेट्री, गाजियाबाद भिजवाया गया। जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ Instant Noodles (Top Ramen Brand) (Proprietary food) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। इस प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को आवश्यक कार्यवाही हेतु पेश किये। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर प्रतिवादीगण द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Instant Noodles (Top Ramen Brand) (Proprietary food) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Instant Noodles (Top Ramen Brand) (Proprietary food) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा-51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अत: प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

......चार पर

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि पर प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री दलपत राज परमार उपस्थित एवं प्रतिवादीगण की ओर से अलग-अलग लिखित जवाब प्रस्तुत किये। प्रकरण में श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के बयान भी दिनांक 18.9.2018 को P.W.1 कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 10.2.2020 को प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार एवं प्रतिवादी संख्या- 3 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री सौरभ अवस्थी उपस्थित हुये एवं लिखित बहस प्रस्तुत की। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 10.2.2020 को श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रकरण में प्रतिवादीगण के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रतिवादीगण के अधिवक्तागण ने प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए व्यक्त किया कि इस प्रकरण में खाद्य पदार्थ Instant Noodles (Top Ramen Brand) (Proprietary food) के नमूने का विश्लेषण एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा दिनांक 08.6.2015 को जारी परामर्श (एडवाइजरी) के आधार पर किया गया है, जो विधि सम्मत नही है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 92 व 93 के उपबन्धों का पालन किये बिना एस.एस.एस.ए.आई. परामर्श (एडवाइजरी) के आधार पर मानक जारी नही कर सकता है। खाद्य पदार्थ नूडल्स तथा टेस्ट मिक्स एक प्रोपराईटरी फूड है, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 22(4) के तहत निजस्वमूलक तथा नवीन खाद्य सामग्री के रुप में परिभाषित किया गया है अर्थात एक खाद्य सामग्री जिसके लिये मानक विर्निदिष्ट नही किये गये है, परन्तु यह असुरक्षित नही है। इस संबंध में माननीय बम्बई उच्च न्यायालय ने नेस्ले इण्डिया लि. बनाम भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिकार प्राधिकरण तथा अन्य के प्रकरण में जो कि 2015(2)एफ.ए.सी.56 (बम्बई डी.बी.) में भी टिप्पणी की है। यह खाद्य नमूना निजस्वमूलक उत्पाद/प्रोपराईटरी फूड है जैसा कि लेबल में दर्शाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 22 के क्षेत्राधिकार में आता है। वाइटल न्यूट्रास्यूटिकल प्रा.लि. बनाम भारतीय संघ और अन्य के मामलें में विधिक दृष्टान्त 2014(2) एफ.ए.सी. 88 (बम्बई एफ.बी.) में माननीय बम्बई उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रुप से माना है कि अधिनियम में उल्लिखित विधिवत प्रक्रिया का पालन किये बिना एफ.एस.एस.ए.आई. को अधिनियम की धारा 16(2)(ए)-(आई) तथा धारा 92 में सम्मिलित मामलें के संबंध में परामर्श जारी करने की शक्तियां नही है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. (एस)23872-23874/2014 में पारित आदेश दिनांक 19.8.2015 के माध्यम से जो 2015(2)एफ.ए.सी. (एफ.सी.) में सूंचित किया गया से पुष्टि की थी। उक्त निष्कर्ष के बाद एफ.एस.एस.ए.आई. ने उत्पाद अनुमोद के संबंध में जारी किये गये परामर्श (एडवाइजरी) को अपने पत्र दिनांक 26.8.2015 के द्वारा वापस लिया है, इसलिये दिनांक 08.6.2015 का परामर्श जिसमें एफ.एस.एस.ए.आई. ने नूडल्स/पास्ता तथा टेस्टमिक्सव के लिये मानक निर्धारित किये, जो कि मानकीकृत उत्पाद नही थे, बल्कि निजस्वमूलकर

....पांच पर

वाले उत्पाद थे, अवैध तथा विधिसम्मत नही थी। चूंकि किसी उत्पाद के मानको को निर्धारित करना, अधिसूचित किया जाना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 16 तथा 92 के तहत कवर है तथा किसी खाद्य सामग्री हेतु मानकों को निर्धारित किये जाने से पूर्व अधिनियम की धारा 93 के तहत यथा परिकल्पित कानून की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये था, जो कि अधिनियम के तहत मानकीकृत नही है। अतः उक्त परामर्श अवैध होने के कारण आर.एफ.एल. अथवा खाद्य विश्लेषक का विश्लेषण आरम्भ से अवैध हो जाता है और यह विधि में अमान्य हो जाता है। शिकायतकर्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने बयानों में प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि धारा 92 के उपबंधों के अनुसार खाद्य प्राधिकरण केवल केन्द्र सरकार द्वारा इस पर विचार करने तथा पारित किये जाने के उपरान्त ही विनियम में परिवर्तन कर सकता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस बात को भी स्वीकार किया है कि विश्लेषण एफ.एस.एस.ए. आई. द्वारा जारी परामर्श दिनांक 08.6.2015 के आधार पर किया गया है। माननीय उच्चतम द्वारा एक बार यह माने जाने पर कि एफ.एस.एस.ए.आई. को अधिनियम की धारा 92(2)(ए) से (v) के तहत उल्लेखित उपबंधों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति नही है और अधिनियम की धारा 92(1) तथा 93 के अनुसार विधि की समुचित प्रक्रिया के द्वारा अर्थात संसद के समक्ष नियमों और विनियमों को निर्धारित करके तथा इन्हें अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित करके मानको तथा दिशा निर्देशों को अधिसूचित करने से संबद्ध है, दिनांक 08.6.2015 का परामर्श जिसके माध्यम से अंततः नूडल्स तथा पास्ता तथा टेस्ट मेकर के लिये मानक निर्धारित किये गये थे खाद्य सामग्रियों के संबंध में निर्धारित किये थे जो कि अधिनियम की धारा 92(2)(इ) के उपबंधों के तहत खाद्य सामग्रियों के संबंध में मानको तथा दिशा निर्देशों को अधिसूचित करने से संबद्ध है, इसलिये दिनांक 08.6.2015 का परामर्श जिसे अधिकारिक राजपत्र मे प्रकाशन के माध्यम से जारी नही किया गया था, अवैध है तथा इस प्रकार उक्त परामर्श के आधार पर जारी की गई विश्लेषण रिपोर्ट गलत है तथा उक्त विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर इस प्रकार दायर की गई शिकायत विधि के अनुसार संगत नही है। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने बहस में यह भी व्यक्त किया कि खाद्य पदार्थ नूडल्स तथा टेस्ट मिक्स जो कि एक प्रोपराईटरी फूड है जिसके निर्माण की तिथी 14.5.2015 है जो एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा दिपांक 08.6.2015 को परामर्श/एडवाइजरी करने से पहले निर्मित किया गया व पैक किया गया था जिसमें नूडल्स पास्ता तथा टेस्टमिक्स के लिये मानक निर्धारित किये गये थे। नूडल्स और टेस्टमेकर के नमूने को उक्त परामर्श को जारी किये जाने से कही पहले निर्मित व पैक किया गया था जिसे रेफरल प्रयोगशाला अथवा खाद्य विश्लेषक द्वारा पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू नही किया जा सकता है, लेकिन खाद्य विश्लेषक एवं रेफरल प्रयोगशाला ने उक्त परामर्श को नमूने का विश्लेषण करते हुए लागू कर दिया था। अतः दोनों प्रयोगशालाओं की विश्लेषण रिपोर्ट अमान्य है। यह कि नमूना खाद्य सामग्री नूडल्स तथा टेस्टमिक्स द्वारा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानकीकरण प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित दिनांक 18.9.2017 की अधिसूचनाओं में इंस्टेट नूडल्स हेतु जो मानक निर्धारित किये गये है उन मानकों के अनुरुप ही उक्त खाद्य नमूने के मानक विश्लेषण रिपोर्ट में पाये गये है, इस प्रकार उक्त खाद्य नमूना

....छः पर

अधिनियम के तहत निर्धारित विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए दिनांक 18.9.2017 की अधिसूचना के माध्यम से इंस्टेंट नूडल्स के मानकों पर खरी उतरी तथा शिकायत विधि के तहत निष्फल तथा चलने योग्य नही है। यह कि उक्त खाद्य नमूनें की अवसान तिथि/Best Before period पैकजिंग तिथि से अर्थात 14.5.2015 से 10 माह तक थी अर्थात् दिनांक 13.3.2016 तक उपयोग के लिये उचित था, तथापित रेफरल प्रयोगशाला, गाजियाबाद ने दिनांक 08.4.2016 तक नमूनें का विश्लेषण किया, जो उक्त खाद्य नमूनें के अवसान तिथि के बाद किये जाने से रेफरल प्रयोगशाला, गालियाबाद की विश्लेषण रिपोर्ट कानूनन चलने योग्य नही है। यह कि शिकायतकर्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 47 के अनिवार्य उपबंधों का पालन नही किया है। शिकायतकर्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने के समय प्रतिवादीगणों को एन.ए.बी.एल. प्रत्यायित प्रयोगशाला से नमूनें का विश्लेषण किये जाने हेतु कोई नोटिस नही दिया है। यह कि खाद्य विश्लेषक, जोधपुर एवं रेफरल प्रयोगशाला, गाजियाबाद की रिपोर्ट एक-दूसरे से भिन्न है। दिनांक खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की विश्लेषण रिपोर्ट दिनापंक 27.7.2015 में नमूना भरी गई खाद्य साम्रग्री को ''मिथ्याछाप'' घोषित किया है, जबकि रेफरल प्रयोगशाला, गाजियाबाद की दिनांक 25.4.2016 की रिपोर्ट में नमूनें को ''अपमिश्रित'' घोषित किया गया है। इस प्रकार, दोनों विश्लेषण रिपोर्ट एक-दूसरे से भिन्न थी एवं एक-दूसरे के प्रतिकूल हे। रेफरल प्रयोगशाला ने उक्त खाद्य सामग्री के नमूनें को ''अमानक'' ठहराया है, जबकि खाद्य विश्लेषक ने नमूनें को मानदण्डों के भीतर होना बताते हुए ''मिथ्याछाप'' ठहराया है। रेफरल प्रयोगशाला, गाजियाबाद ने नमूनें को ''मिथ्याछाप'' घोषित नही किया गया, जैसा कि खाद्य विश्लेषक का मत था, इसलिये अभिहित अधिकारी द्वारा दिया गया अनुमोदन तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी की यह मौजूदा शिकायत विधि सम्मत नही होने से खारिज की जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब एवं लिखित बहस में अंकित तथ्यों तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 27.6.2015 को 12.30 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म अजय प्रोविजन एण्ड जनरल स्टोर, सदर बाजार, सानीगांव, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही पर गये। वहां उक्त फर्म अजय प्रोविजन एण्ड जनरल स्टोर, सदर बाजार, सानीगांव, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही में मालिक एवं खाद्यकारोबाकर्ता की हैसियत से अजय बंसल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद बंसल, जाति- अग्रवाल, निवासी- माचगांव, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ Instant Noodles with Masala Mix (Top Ramen Brand) (Proprietary food) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ Instant Noodles with Masala Mix (Top Ramen Brand) (Proprietary food) के

....सात पर

अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना खाद्य कारोबारकर्ता अजय बंसल को मौके पर उपस्थित गवाह श्री लक्ष्मणराम, एन.एम.ए., कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी व खाद्य कारोबारकर्ता अजय बंसल से रसीद प्राप्त की तथा दुकान में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ Instant Noodles with Masala Mix (Top Ramen Brand) (Proprietary food) के 40 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 70 ग्राम) में से खाद्य पदार्थ Instant Noodles with Masala Mix (Top Ramen Brand) (Proprietary food) के 28 पैक्ड पाउचेज (प्रत्येक 70 ग्राम) खरीदे एवं उसकी कीमत राशि रुपये 252/- (अक्षरे रुपये दो सौ बावन मात्र) खाद्य कारोबारकर्ता अजय बंसल को अदा कर क्रय करने का रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता अजय बंसल व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीद शुदा खाद्य पदार्थ Instant Noodles with Masala Mix (Top Ramen Brand) (Proprietary food) के सात-सात पाउचेज को कागज के अलग-अलग डिब्बों में रखकर टेप से चिपकाकर 4 पैकेट बनाये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-407, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता अजय बंसल व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चारों नमूना पैकेटों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना पैकेटो को अलग-अलग कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप कोड एवं क्रमांक S-407 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता अजय बंसल व उक्त गवाह के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैंयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता अजय बंसल व उक्त गवाह तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म अजय प्रोविजन एण्ड जनरल स्टेार, सदर बाजार, सानीगांव, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता अजय बंसल से खाद्य पदार्थ Instant Noodles with Masala Mix (Top Ramen Brand) (Proprietary food) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

.....आठ पर

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ Instant Noodles with Masala Mix (Top Ramen Brand) (Proprietary food) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पँहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की तथा नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। साथ ही, फार्म नम्बर-6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफों में रखकर लिफाफों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 30.6.2015 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग एवं फार्म नम्बर-6 के सील बन्द लिफाफा को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 30.6.2015 को ही जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ Instant Noodles with Masala Mix (Top Ramen Brand) (Proprietary food) का नमूना संख्या S-407 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./536/Act/2015/559 दिनांक 27.7.2015 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म अजय प्रोविजन एण्ड जनरल स्टोर, सदर बाजार, सानीगांव, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता अजय बंसल से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Instant Noodles with Masala Mix (Top Ramen Brand) (Proprietary food) का नमूना संख्या S-407 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त जांच रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया है कि Test for detection/determination of Heavy metals (Lead) and mono sodium galutamate not performed in above mentioned sample due to testing facility not available in this laboratory.

जिस पर उक्त खाद्य सामग्री Instant Noodles with Masala Mix (Top Ramen Brand) (Proprietary food) के नमूनें को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, भारत सरकार, गाजियाबाद को विश्लेषण जांच हेतु भेजा गया। प्रकरण में निदेशक, निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, भारत सरकार, गाजियाबाद के पत्र क्रमांक C.319/16-RFL/499 दिनांक 25.4.2016 के द्वारा उक्त खाद्य सामग्री Instant Noodles with Masala Mix (Top Ramen Brand) (Proprietary food) के नमूना संख्या S-407 का प्रेषित Certificate of analysis No:319/Apr/16-Raj दिनांक 25.4.2016 के अनुसार उक्त खाद्य सामग्री Instant Noodles with Masala Mix (Top Ramen Brand) (Proprietary food) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की उक्त विश्लेषण जांच रिपोर्ट दिनांक 27.7.2015 की प्रति अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

....नौ पर

सिरोही के पत्र क्रमांक:एफएसएसए/2015/3949-50 दिनांक 04.8.2015 के द्वारा प्रतिवादी अजय बंसल, फर्म अजय प्रोविजन एण्ड जनरल स्टोर, सदर बाजार, माउन्ट आबू एवं निर्माता फर्म INDO NISSIN FOODS PRIVATE LIMITED को प्रेषित कर सूचित किया गया है कि खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की विश्लेषण जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में अपील आवेदन प्रारुप 8 में पत्र प्राप्ति के 30 दिन के भीरत प्रस्तुत करे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित उक्त विश्लेषण प्रमाण पत्र दिनांक 25.4.2016 की प्रति अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र क्रमांक+एफएसएसए/2016/2486-87 दिनांक 10.5.2016 के द्वारा प्रतिवादी फर्म अजय प्रोविजन एण्ड जनरल स्टोर, सदर बाजार, माउन्ट आबू को प्रेषित की गई है।

प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि खाद्य विश्लेषक, जोधपुर एवं निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद द्वारा उक्त सामग्री Instant Noodles with Masala Mix (Top Ramen Brand) (Proprietary food) के नमूने का विश्लेषण F.S.S.A.I. द्वारा जारी परामर्श (एडवाइजरी) दिनांक 08.6.2015 के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया गया है, परन्तु प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि F.S.S.A.I. ने उक्त परामर्श (एडवाइजरी) दिनांक 08.6.2015 के द्वारा खाद्य पदार्थ Instant Noodles with Masala Mix के जो मानक निर्धारित किये थे, उन मानकों के अनुरुप उक्त खाद्य पदार्थ Instant Noodles with Masala Mix (Top Ramen Brand) (Proprietary food) के मानक विश्लेषण जांच रिपोर्ट में नही पाये गये है अर्थात् उक्त खाद्य पदार्थ Instant Noodles with Masala Mix (Top Ramen Brand) (Proprietary food) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद द्वारा उक्त खाद्य सामग्री Instant Noodles with Masala Mix (Top Ramen Brand) (Proprietary food) के नमूने का विश्लेषण दिनांक 11.3.2016 से 08.4.2016 की अवधि में किया गया है, परन्तु इससे पूर्णतया यह स्पष्ट नही होता है कि उक्त खाद्य सामग्री Instant Noodles with Masala Mix (Top Ramen Brand) (Proprietary food) के निर्माण तिथि 14.5.2015 से अवसान की तिथि 10 माह के बाद ही किया गया हो, क्योंकि उक्त खाद्य सामग्री Instant Noodles with Masala Mix (Top Ramen Brand) (Proprietary food) के निर्माण तिथि से अवसान तिथि 10 माह अर्थात् 13.3.2016 होती है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी अजय बंसल की फर्म अजय प्रोविजन एण्ड जनरल स्टोर द्वारा उक्त खाद्य सामग्री को बिल संख्या 7385 दिनांक 13.6.2015 के द्वारा फर्म रविकुमार ललितकुमार, जनरल मर्चेन्ट, आबूरोड़ से क्रय किया गया था, जो प्रतिवादी रवि सिंघल, मकान नंबर-30., हीना कॉलोनी, आबूरोड़, जिला- सिरोही की फर्म है। प्रतिवादी संख्या- 2 रवि सिंघल की फर्म रविकुमार ललितकुमार, जनरल मर्चेन्ट, हीना कॉलोनी, मकान नंबर-30, आबूरोड़,

...दस पर

जिला- सिरोही ने उक्त खाद्य सामग्री को इनवोईस नम्बर:T(15-16)-00172 दिनांक 28.5.2015 के द्वारा फर्म सपरा मार्केटिंग कम्पनी, जी-635-ए, प्रताप स्टील के पीछे, वी. के.आई. रोड, जयपुर से क्रय किया गया था, जो प्रतिवादी संख्या- 3 (मेघा सपरा) की फर्म है। प्रतिवादी मेघा सपरा की उक्त फर्म सपरा मार्केटिंग कम्पनी द्वारा उक्त खाद्य सामग्री को टेक्स इनवोईस नम्बर RNM00000060 दिनांक 21.5.2015 के द्वारा फर्म INDO NISSIN FOODS PRIVATE LIMITED, Near Shree Shyam Dharam Kanta, Civil Hospital Road, N.H.-8, Bawal, Dist-Rewadi, Pin-123501 से क्रय किया गया था, जो उक्त खाद्य सामग्री Instant Noodles with Masala Mix (Top Ramen Brand) (Proprietary food) की निर्माता फर्म है। इससे यह स्पष्ट है कि निर्माता फर्म INDO NISSIN FOODS PRIVATE LIMITED ने अमानक खाद्य पदार्थ Instant Noodles with Masala Mix (Top Ramen Brand) (Proprietary food) का निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय किया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन है एवं इस अधिनियम की धारा 51 के तहत जुमनि योग्य अपराध है। इस प्रकार, अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Instant Noodles with Masala Mix (Top Ramen Brand) (Proprietary food) के निर्माण, पैकिंग एवं विक्रय हेतु निर्माता फर्म INDO NISSIN FOODS PRIVATE LIMITED ही दोषी व उत्तरदायी है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या- 1 से 3 को दोष मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत खाद्य पदार्थ Instant Noodles with Masala Mix (Top Ramen Brand) (Proprietary food) की निर्माता फर्म INDO NISSIN FOODS PRIVATE LIMITED, Near Shree Shyam Dharam Kanta, Civil Hospital Road, N.H.-8, Bawal, Dist-Rewadi, Pin-123501, Regd. Office: 3rd floor, East wing, Centenary Building, 28 M.G.Road, Bangalore-560001 पर राशि रुपये 40,000/- (अक्षरे रुपये चालीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। निर्माता फर्म INDO NISSIN FOODS PRIVATE LIMITED के नॉमिनी Yogesh Vora S/o Lalit Kumar ji vora, 402, Galaxy Cresent, 13th Cross, Banglore-560003 को आदेशित किया जाता है कि उक्त निर्माता फर्म INDO NISSIN FOODS PRIVATE LIMITED पर आरोपित उक्त जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरडक)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Richpal Singh Burdak
Date: 2020.03.20 11:35:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: